UP RVUNL	उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार 14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या : 1918 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2017–3(11)–मा0सं0(04) / 2017 दिनांक :– 29 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को उ0प्र0 शासन के आदेशों की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2016 से पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण का पुनरीक्षण अनुमन्य कराया जाना।

उपरोक्त विषय पर उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं उ0प्र0 शासन के पत्रांक–07 / 2017 / 1758 / 24–पी–2–17–सा0(144) / 17, दिनांक 27.12.2017 तथा उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1320–पे0एवंआर0–28 / पाकालि / 2017–60–पी / 98(टी0सी0–1) दिनाँक 29.12.2017 के अनुक्रम में उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन / अशक्तता पेंशन / ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को उ0प्र0 शासन की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2016 से संशोधित / पुनरीक्षित कराये जाने हेतु उ0प्र0 शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग–03 के निम्नलिखित आदेशों (प्रतिलिपि संलग्न) में प्राविधानित व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन निम्नवत आदेशित किया जाता है:–

क्रम सं0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सं0–38 / 2016–सा–03–921 / दस / 2016 / 308 / 2016 दिनांक 23.12.2016	दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त / दिवंगत कार्मिकों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी / पेंशन राशिकरण के प्राविधानों का दिनांक 01.01.2016 से संशोधन।
2	सं0–39 / 2016–सा–03–923 / दस / 2016 / 308 / 2016 दिनांक 23.12.2016	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त / दिवंगत हो चुके पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण किया जाना।
3	सं0–23 / 2017 / सा–3–329 / दस–2017 / 308 / 2016 दिनांक 18.07.2017	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त / दिवंगत कार्मिक को उनके सेवानिवृत्त / दिवंगत होने की तिथि को अनुमन्य अन्तिम वेतन का पुनरीक्षण उनके सेवानिवृत्त / दिवंगत होने के पश्चात विभिन्न वेतन आयोगों की संस्तुतियो के अनुसार प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित किया जाना एवं इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन / पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाना।
4	सं0–31 / 2017 / सा–3–524 / दस–2017 / 308(8) / 2016 दिनांक 04.09.2017	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त / दिवंगत कार्मिक को उनके सेवानिवृत्त / दिवंगत होने की तिथि को अनुमन्य अन्तिम आहरित वेतन का पुनरीक्षण उनके सेवानिवृत्त / दिवंगत होने के पश्चात विभिन्न वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित किये जाने सम्बन्धी वेतन पुनरीक्षण का रेडीरेकनर (Ready reckner) जिसके सिद्धान्तो के आधार पर पेंशन की धनराशि में बढ़ोत्तरी होने पर तद्नुसार दिनांक 01.01.2016 से पेंशन का संशोधन किया जाना है। सम्बन्धित शासनादेश के सिद्धान्तो के अनुसार तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अपनी पूर्व से प्रभावी विभिन्न वेतन आयोगों के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचनाओं में वेतन का नोशनल निर्धारण कराये जाने एवं तद्नुसार पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही अपेक्षित होगी।

E:\Belal Ali\Seventh Pay Commission\Pensioner order for seventh pay commission.docx

क्रमशः.....2

2. उपर्युक्त कार्यवाही हेतु शासनादेशों में प्रयुक्त उद्बोधनों यथा "राज्य सरकार" सरकारी सेवकों, "राज्य कर्मचारियों", "सरकारी सेवक", "सरकारी कार्मिकों" तथा विभिन्न वेतन आयोगों आदि को क्रमशः "उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0", "निगम सेवकों", "निगम के कर्मचारियों, "निगम सेवक", "निगम के कार्मिकों" तथा वेज–बोर्ड एवं विभिन्न वेतन आयोगों के संदर्भ में लिया जायेगा।

3. संगत शासनादेशों में पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण के प्रश्नगत पुनरीक्षण को लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु इंगित अधिकारियों/इकाईयों के नाम के स्थान पर निगम के संगत अधिकारियों/इकाईयों का उल्लेख किया गया समझा जायेगा।

4. शासनादेश संख्या–38/2016–सा–03–921/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर–11 एवं शासनादेश संख्या–39/2016–सा–03–923/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर–08 में वर्णित ***एक्स–ग्रेसिया एकमुश्त कम्पनसेशन की सुविधा/व्यवस्था, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों के सम्बन्ध में अग्रेतर निर्णय लिये जाने तक स्थगित रहेगी।***

5. उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0–39/2016–सा–03–923/दस/ 2016/ 308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्राविधानों के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण कोषागार स्तर पर किया जायेगा।

6. दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का संशोधन किये जाने हेतु शासनादेश सं0–23/2017/सा–3–329/दस–2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 के प्राविधानों के अनुसार तथा शासनादेश सं0–31/2017/सा–3–524/दस–2017/308(8)/2016 दिनांक 04.09.2017 के सिद्धान्तों को संज्ञान में लेते हुये तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की अपनी वेतन संरचना के अनुसार वेतन का नोशनल निर्धारण सक्षम स्तर से यथा लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/सम्बन्धित परियोजना/ इकाईयों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

7. दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे कार्मिको जिन्हें पेंशन अनुमन्य है, की पेंशन का निर्धारण शासनादेश सं0–38/2016–सा–03–921/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

8. उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दि0 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन का लाभ निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमन्य कराया जायेगाः–

(i) ऊर्जा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1/2016/41/24/पी–2–16–सा0(84)/2014 दिनांक 13 जनवरी, 2016 के प्रस्तर–3 (vii) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विभिन्न निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 19.08 प्रतिशत (अथवा जो दर निर्धारित की जाय) का अंशदान समस्त निगम राजकोष में नियमित रूप से जमा करते रहेंगे।

(ii) संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का नकद भुगतान जनवरी, 2018 भुगतान माह फरवरी, 2018 से किया जायेगा। ***दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक की अवधि के अवशेषो के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।***

क्रमशः......3

(iii) दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दि0 01.01.2016 से पुनरीक्षण राजकीय पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0–39/2016–सा–03–923/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के अनुसार कोषागार स्तर पर किया जायेगा।

(iv) राजकीय पेंशनरों की पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश 23/2017/सा–3–329/दस–2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 के अनुसार एवं शासनादेश सं0–31/2017/सा–3–524/दस–2017/308(8)/2016 दिनांक 04.09.2017 के सिद्धान्तो के अनुसार तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में पूर्व से विभिन्न वेतन आयोगो में लागू वेतनमानों मे वेतन का नोशनल निर्धारण की कार्यवाही परियोजनाओं/सम्बन्धित इकाईयों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी तथा पेंशन निर्धारण हेतु आवश्यक अभिलेख नोशनल वेतन निर्धारण के आदेश सहित **निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन** को प्रेषित किये जायेगे। उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के सेवानिवृत्त कार्मिको में से ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार में समूह–'क' के समतुल्य पदो से सेवानिवृत्त हुये हों, के प्रकरण निदेशक, पेंशन को तथा समूह– 'ख' एवं समूह– 'ग' के समतुल्य पदो से सेवानिवृत्त पेंशनरों के प्रकरण सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किये जायेगे। समूह–'घ' के पेंशनरो के प्रकरण सम्बन्धित परियोजना/इकाई के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा पूर्व की भांति निस्तारित किये जायेगे।

(v) दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिको के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी उपर्युक्तानुसार निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन होगे। उक्त तिथि को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिको के सेवानैवृत्तिक लाभ के प्रकरण उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निवर्तमान पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के स्थान पर निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(vi) समूह– 'घ' के सेवानिवृत्त कार्मिको के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी सम्बन्धित परियोजना/इकाई के इस सम्बन्ध में पूर्व में अधिकृत अधिकारी ही होंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या : 1918 /मा0सं0–04/उ0नि0लि0/2017/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टांफ आफिसर/निजी सचिव।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ को शासनादेश संख्या–1/2016/41/24–पी–2–16–सा0 (84)/2014 दिनांक 13.01.2016 एवं शासन के पत्रांक–07/2017/1758/24–पी–2–17–सा0(144)/17, दिनांक 27.12.2017 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की अनुरूपता में उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।